रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2014/श्रावण 14, 1936
No. 404] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2014/SHRAVANA 14, 1936

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2014

सा. का. नि. 562(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, बल्लभगढ (हरियाणा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आंकडा प्रविष्टि प्रचालक (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, (आंकडा प्रिविष्टि प्रचालक-लिपिक) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या,उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि.**—भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आंकडा प्रविष्टि प्रचालक-लिपिक	2* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20,200 रु + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं उतीर्ण या समतुल्य। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट(10500 की डिप्रेशन प्रति घण्टा)या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट(9000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा) की टंकण गति। **टिप्पण 1 :** उन अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो

					टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीक वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सघं लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः— **1.** निदेशक, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान - अध्यक्ष **2.** निदेशक या उप सचिव, पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य **3.** अवर सचिव, पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 20—3/2014— ए डब्ल्यू डी]

एम. गीतान्जली, उप सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2014

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' Post of Data Entry Operator-cum-clerk in the National Institute of Animal Welfare, Ballabhgarh, Ministry of Environment and Forests, namely:-

1. **Short title and commencement.— (1)** These rules may be called the National Institute of Animal Welfare (Data Entry Operator-cum-clerk) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification—**No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data Entry Operator-cum- clerk	2* (2014) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay band - 1, Rs. 5200-20,200 with grade pay of Rs. 2400.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the	(i) 12th pass from a recognized Board or equivalent. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English (10500 key depression per hour) or 30 words per minute in Hindi (9000 key depression per hour) on computer.	Not applicable.	Two years.

closing date for receipt of application except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determination of the age limit shall be the last date on which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe, if at any stage of selection when the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** 1. Director, National Institute of Animal Welfare - Chairman 2. Director or Deputy Secretary, Animal Welfare Division, Ministry of Environm and Forests - Member 3. Under Secretary, Animal Welfare Division, Ministry of Environment and Forests - Member.	Not applicable.

[F. No. 20-3/2014-AWD]

M. GEETHANJALI, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.